स्टेटस रिपोर्ट

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

e-mail – nagarnigamrudrapur@gmail.com visit – www.nagarnigamrudrapur.com
Tel. 05944-242400, Fax – 05944-243316

164

पत्रांकः 1406 /स्वा0अनु0/2019–20 / 415 दिनांकः 22 अगस्त, 2019

सेवा में,

मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण,
प्रिंसीपल बैंच,
नई दिल्ली।

विषयः– योजित आवेदन सं0 **604/2019 (I.A. No. 424/2019)** के सम्बन्ध में स्टेटस रिपोर्ट।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन संख्या 604/2019 (I.A. No. 424/2019) फाजलपुर महरौला कूड़ा निस्तारण स्थल विरोध समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिये गये आदेश दिनांक 24.07.2019 के सन्दर्भ में आख्या निम्नवत् है–

1. डिप्टी कमिश्नर, नैनीताल द्वारा दिनांक 14.02.1954 को रूद्रपुर शहर में टाउन डेवलपमेन्ट विभाग, रूद्रपुर का गठन किया गया। उसके पश्चात टाउन डेवलपमेन्ट विभाग से उच्चीकृत होकर नगर पालिका परिषद बना। प्रथम श्रेणी की नगर पालिका से उच्चीकृत होकर दिनांक 28.02.2013 को नगर निगम, रूद्रपुर का गठन हुआ है। तत्कालीन नगर पालिका परिषद/वर्तमान नगर निगम, रूद्रपुर 20 वार्डों में विभक्त था, जिसका क्षेत्रफल 805.26 हैक्टेयर था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रूद्रपुर शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 1,40,857 थी। वर्ष 2018 में शासन द्वारा नगर निगम, रूद्रपुर का सीमा विस्तार/परिसीमन किया गया। सीमा विस्तार/परिसीमन के पश्चात नगर निगम, रूद्रपुर 40 वार्डो में विभक्त हुआ। नगर निगम, रूद्रपुर का क्षेत्रफल 805.26 हैक्टेयर से बढ़कर 5522.05 हैक्टेयर हो गया है। सीमा विस्तार के उपरान्त वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रूद्रपुर शहर की जनसंख्या 1,75,723 हो गयी। चूंकि उक्त जनसंख्या के आँकड़े वर्ष 2011 के हैं जबकि रूद्रपुर की शहर की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या लगभग 2,30,000 है, जिसके वास्तविक आँकड़े आगामी जनगणना वर्ष 2021 में प्राप्त हो सकेगें। रूद्रपुर शहर एवं इससे लगे क्षेत्रो में सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण रूद्रपुर की फ्लोटिंग जनसंख्या लगभग 1.5 से 2 लाख होने का अनुमान है। वर्तमान में सीमा विस्तार के उपरान्त नये क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए प्रति दिन लगभग 60–70 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट (MSW) उत्सर्जित हो रहा है।

2. नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा लगभग 20 वर्षों स भी अधिक समय से अपने क्षेत्रान्तर्गत उत्पादित नगरीय ठोस अपशिष्ट (MSW) को, किच्छा रोड एन.एच. 74 के मुख्य मार्ग के पास मौहल्ला पहाड़गंज में लगभग 02 एकड़ रिक्त भूमि में, डाला जा रहा है। उक्त स्थल अपशिष्ट से पूर्ण रूप से भर गया है, तथा क्षेत्रफल में वृद्धि होने व ठोस अपशिष्ट विधायन संयत्र के लगाने हेतु भूमि के अभाव में उक्त स्थल पर ही नगरीय ठोस अपशष्टि डाला जा रहा है। नगर निगम द्वारा निरन्तर कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव किया जाता है ताकि उक्त स्थान पर दुर्गन्ध इत्यादि उत्पन्न न हो तथा संक्रमित बीमारियों से भी रोकथाम हो सके। उक्त स्थल पर क्षमता से अधिक ठोस अपशिष्ट डाले जाने से अपशिष्ट रूद्रपुर–किच्छा मार्ग (एन.एच.–74) पर आने की सम्भावना को देखते हुए नगर निगम द्वारा उक्त स्थल पर स्थाई रूप से एक जेसीबी रखी गयी है जिससे सड़क पर गिरे अपशिष्ट को तत्काल उठाकर अपशिष्ट को उसी स्थान पर व्यवस्थित रूप से एकत्रित

क्रमशः पृष्ठ–2

165

किया जा सके। उक्त मार्ग रूद्रपुर को किच्छा को जोड़ती है जिससे उक्त मार्ग पर रात–दिन यातायात का दवाब बना रहता है। उत्तराखण्ड एक पर्यटन राज्य है और रूद्रपुर शहर पयर्टन के दृष्टि से उत्तराखण्ड के कुमाऊँ क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। उक्त मार्ग पर अपशिष्ट एकत्रित होने के कारण पयर्टको में भी इसका नकरात्मक प्रभाव पड़ता है। उक्त स्थल के समीपवर्ती निवासरत लोगों द्वारा आये दिन शिकायतें/नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया जाता है। अतः उपरोक्त कारणों से नगरीय ठोस अपशष्टि निस्तारण हेतु भूमि की तात्कालिक आवश्यकता है।

3. ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम, रूद्रपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 29.09.2015 के प्रस्ताव सं0 3 के अनुसार नगर को साफ एवं स्वच्छ बनाये रखने हेतु जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर को कूड़ा निस्तारण के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कराने के प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ।

4. नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण में आ रही भूमि की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा वैज्ञानिक ढंग से ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए ठोस अपशिष्ट विधायन संयत्र की स्थापना हेतु फाजलपुर महरौला के खाता सं0–619 के खसरा सं0–08 रकबा 14.492 है0 मध्ये 4.044 है0, वर्ग–4 की भूमि चिन्हित की गई। उक्त चिन्हित भूमि ए0एन0 झा इण्टर कालेज से लगभग 550 मी0, डिग्री कालेज से लगभग 1 किलोमीटर, रा0कन्या इण्टर कालेज से लगभग 315 मी0, कोलम्बस पब्लिक स्कूल से लगभग 250 मी0, खण्ड विकास कार्यालय से लगभग 350 मी0, जवाहर नवोदय विद्यालय से लगभग 500 मी0 दूरी पर अवस्थित है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्तावित विधायन संयत्र की भूमि के आस–पास काफी रिक्त भूमि है जिसमें वर्तमान में खेती की जा रही है तथा आवासीय कालोनियाँ प्रस्तावित विधायन संयत्र से काफी दूरी पर स्थित हैं। आवासीय कालोनियों/विद्यालयों के आवागमन हेतु मार्ग प्रस्तावित क्षेत्र से होकर नहीं जाते हैं वरन उसके विपरीत दिशा में पृथक से है। समीपवर्ती आवासीय कालोनियों, विद्यालयों व कार्यालयों का आवागमन किसी भी दशा में न तो बाधित होगा और न ही विधायन संयत्र के अन्दर अपशिष्ट निस्तारण की गतिविधियाँ आस–पास के क्षेत्रों से दृष्टिगोचर होगीं।

5. तत्कालीन मेयर श्रीमती सोनी कोली द्वारा फाजलपुर महरौला स्थित ए0एन0 झा इण्टर कालेज के पीछे रिक्त पड़ी लगभग 250 एकड़ भूमि में से 10 एकड़ भूमि नगर निगम, रूद्रपुर के पक्ष में ट्रंचिंग ग्राउण्ड बनाये जाने के प्रत्यावेदन के क्रम में मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तराखण्ड द्वारा अपनी घोषणा सं0 198/2015 द्वारा रूद्रपुर शहर में ट्रंचिंग ग्राउण्ड बनवाने की घोषणा की गयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, उधमसिंह नगर के कार्यालय पत्रांक 1033/एस0टी0/2015 दिनांक 23.03.2015 द्वारा ए0एन0 झा इण्टर कालेज रूद्रपुर के पीछे रिक्त पड़ी भूमि में से 10 एकड़ भूमि नगर निगम, रूद्रपुर के पक्ष में हस्तान्तरण करवाये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

6. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि नगर निगम रूद्रपुर के पक्ष में हस्तान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1495/2014–15/पीबी दिनांक 02.02.2015 द्वारा जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर को पत्र प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या 742/सात–स0भू0अ0/2015 दिनांक 26.02.2015 द्वारा प्रस्तावित भूमि नगर निगम रूद्रपुर के पक्ष में आवंटित करने हेतु भूमि का उद्धरण खसरा, खतौनी तथा नक्शे एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी रूद्रपुर की आख्या सहित तीन–तीन प्रतियों में संलग्न कर शासन को प्रेषित किया गया।

7. शहरी विकास निदेशालय के पत्रांक 271/श0वि0नि0–1320(मा0मु0घो0)/ठो0अ0प्र0/2015 दिनांक 15.05.2015 द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं0 198/2015, जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर के पत्र दिनांक 04.02.2015 के क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि क्षेत्रफल 10 एकड़ को नगर निगम, रूद्रपुर के पक्ष में हस्तान्तरित कराये जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया।

क्रमशः पृष्ठ–3

8. भूमि प्रस्ताव के अनुरोध के क्रम में सचिव, शहरी विकास, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र सं0–1954/XVIII(II)/2016-18(35)/2016 दिनांक 20 सितम्बर, 2016 द्वारा नगर निगम, रूद्रपुर को कूड़ा कचरा विधायन संयत्र लगाने हेतु परगना रूद्रपुर के ग्राम फाजलपुर महरौला के खाता सं0–619 के खसरा सं0–08 रकबा 14.492 है0 मध्ये 4.044 है0, वर्ग–4 की भूमि जो ए0एन0 झा राजकीय इण्टर कालेज फार्म, रूद्रपुर के नाम दर्ज अभिलेख थी, को नगर निगम, रूद्रपुर के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु शासनादेश दिनांक 15.06.2016 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत एकमुश्त धनराशि जमा किये जाने पर पट्टे पर (पट्टा 30 वर्ष के लिए है जिसे दो बार 30–30 वर्ष के लिए नवीनीकरण कराने का विकल्प है) सशुल्क आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया है। उक्त स्वीकृति के क्रम में नगर निगम रूद्रपुर द्वारा उक्त भूमि के मूल्य की धनराशि रू0 3,68,00,400.00 (तीन करोड़ अड़सठ लाख चार सौ मात्र) चालान सं0–2901 दिनांक 17 मार्च, 2017 एवं माल गुजारी की धनराशि रू0 15,000.00 (पन्द्रह हजार मात्र) चालान सं0–2902 दिनांक 17 मार्च, 2017 द्वारा राजकोष में जमा करा दी गयी, परन्तु स्थानीय विरोध एवं नबाव सिंह पुत्र श्री पंजाब सिंह निवासी म0सं0 ए–7, बराड नगर, ग्राम फाजलपुर महरौला, तहसील रूद्रपुर, उधमसिंह नगर तथा कोलम्बस शिक्षा प्रसार समिति, कार्यालय भूरारानी रूद्रपुर, तहसील किच्छा, उधमसिंह नगर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में वाद योजित किये जाने के कारण उक्त भूमि पर नगर निगम को तत्समय कब्जा नहीं मिल सका। रिट याचिकाओं से सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् हैं–

Writ Petition (PIL) No. 56 of 2017 Navab Singh Versus State of Uttarakhand and others में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2017 को निम्न आदेश पारित किया गया–

"Having heard the learned counsel for the parties, we can arrived at the following conclusion:

Land has been allotted to the local body for the purpose of setting up the solid waste management plant. As of now, no construction has been done. Apparently, the amount, as demanded by the authorities, has already been deposited. Respondents are not construction trenching ground, which is the very foundation of the petitioner's case. Since this is a public interest litigation, we must also take care to see that any construction, which is being done, will be done only strictly as per law. Wherever the permission from the Pollution control Board is required, at whatever stage it may, is must be obtained by the respondent body. We make it clear that the construction, with which we are not inclined to interfere, as things stand, must be carried out only strictly as per all laws, including getting such permission as may be required from the Pollution Control Board.

Subject to the above observations, the writ petition is disposed of." (संलग्नक–1)

कोलम्बस शिक्षा प्रसार समिति द्वारा योजित Writ Petition (M/S) No. 626 of 2017 Columbus Shiksha Prasar Samiti Versus State of Uttarakhand and others में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 20.12.2017 को निम्न आदेश पारित किये गये है–

क्रमशः पृष्ठ–4

167

"We have already disposed of Writ Petition (PIL) No. 56 of 2017. Having heard the learned counsel for the petitioner, who also is not able to make out any ground for interfering with the order, we are not inclined to interfere with the order as such. However, we have already made certain observations in Writ Petition (PIL) No. 56 of 2017 in regard to the matter. In the light of that also, we see no reason to interfere in this case." (संलग्नक–2)

9. उपरोक्त दोनों वाद मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में विचाराधीन होने के दौरान नगर निगम द्वारा वैकल्पिक रूप से किच्छा रोड स्थित ग्राम चुकटी देवरिया, तहसील किच्छा, जिला उधमसिंह नगर में स्थित वन विभाग की 4.707 हैक्टेयर भूमि चिन्हित की गयी। वन भूमि के हस्तान्तरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा रोक लगायी गयी थी। वन भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया लम्बी एवं जटिल होने व क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि उपलब्ध कराये जाने के शर्त के कारण तथा नगर निगम रूद्रपुर एवं जिला प्रशासन के निरन्तर प्रयास किये जाने के उपरान्त भी उक्त भूमि आतिथि तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। मा0 अधिकरण के संज्ञान में यह भी लाना है कि नगर निगम, रूद्रपुर भौगोलिक रूप से इस प्रकार अवस्थित है कि उसके दक्षिण दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद रामपुर की सीमा लगी हुई है। नगर निगम रूद्रपुर मुख्यालय से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगभग 2.5 किमी0 दूरी पर है। उत्तर दिशा में निगम मुख्यालय से लगभग 15 किमी0 पन्तनगर एयरपोर्ट अवस्थित है तथा उत्तर दिशा में आबादी क्षेत्र के बाद सिडकुल का औद्योगिक क्षेत्र है एवं पन्तनगर विश्वविद्यालय की भूमि और उसके उपरान्त वन भूमि क्षेत्र है। इस प्रकार उत्तर दिशा में भी कोई उपर्युक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार शेष अन्य स्थानों पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान प्रस्तावित स्थल पर कब्जा लिया गया है। प्रश्नगत स्थल पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के मानको का अनुपालन करते हुए ही नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

10. ठोस अपशिष्ट निस्तारण के सम्बन्ध में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 2393/श0वि0नि0/31/ठो0अप0/एस0बी0एम0/2017–18 दिनांक 23.03.2018 द्वारा शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गये है– जिसमें शासनादेश सं0 93/IV(2)–श0वि0–2016–35(सा0)/15 दिनांक 13.01.2016 के द्वारा ठोस अपशिष्ट के तकनीकि व वैज्ञानिक निस्तारण हेतु भूमि का चयन कर भूमि प्राप्त किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। मा0 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 293/IV(2)–श0वि0–2016–35(को0के0)/15 दिनांक 18.02.2016 के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षकता में डी0एफ0ओ0, नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी तथा क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सदस्य नामित करते हुए ठोस अपशिष्ट के निस्तारण स्थल की भूमि के चिन्हीकरण/हस्तान्तरण हेतु समिति का गठन किया गया था। शासनादेश संख्या 2188/IV(2)–श0वि0–2016–35(को0के0)/15 दिनांक 29.12.2016 के द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत निस्तारण स्थल की भूमि के चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही दो वर्ष में पूर्ण किए जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त के क्रम में शासनादेश सं0 2190/IV(2)–श0वि0–2016–35(सा0)/15 दिनांक 29.12.2016 के द्वारा निस्तारण भूमि को नगर के मास्टर प्लान में निर्धारित कराये जाने तथा अंकित कराये जाने हेतु निर्देश किए गये थे (संलग्नक–3)। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भी नगरीय ठोस अपशिष्ट को वैज्ञानिक ढंग से प्रसंस्कृत एवं निपटान किया जाना है। भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के नियम 11(च) में ठोस अपशिष्ट के लिए प्रसस्करण और निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक वर्ष के अन्दर स्थानीय निकायों के वास्ते उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन सुनिश्चित करना और उन्हें महानगर एवं जिला योजना समितियों या नगर एवं ग्राम योजना विभाग के माध्यम से राज्य/शहरों की मास्टर योजना

क्रमशः पृष्ठ–5

में शामिल करने के निर्देश दिये गये हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में भूमिभरण में जाने वाले अपशिष्ट के न्यूनीकरण को सुनिश्चित करने तथा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ठोस अपशिष्ट के प्रभाव को न्यूनीकृत करने के लिए ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों के अपशिष्ट में कमी, पुनः उपयोग पुनर्चकरण पर बल देने के उद्देश्य से उक्तानुसार भूमि का चयन कर उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा नामित मै0 टैक्मेक कम्पनी द्वारा रूद्रपुर नगर निगम के लिए जी0आई0एस0 प्रस्तावित मास्टर प्लान में उक्त अपशिष्ट विधायन संयत्र को भी सम्मिलित किया जा रहा है।

11. प्रकरण की गम्भीरता से जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए दिनांक 04.07.2019 को पुलिस फोर्स व प्रशासन की मौजूदगी में प्रश्नगत भूमि पर कब्जा प्राप्त किया गया तथा उसी दिन भूमि का पिलरबन्दी की गयी। पर्यावरण एवं ग्रीन बैल्ट को विकसित करने के दृष्टिकोंण से दिनांक 17.07. 2019 को उक्त भूमि के चारों ओर 1 से 1.5 मीटर ऊँचाई के गोल्डन प्रजाति के 1500 बाँस के पौधे रोपित किये गये हैं जो आगामी 3 वर्षों में लगभग 15–20 मीटर ऊँचाई तक के हो जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि के चारों ओर 12–15 फुट ऊँची पक्की चाहरदीवारी बनवायी जायेगी, जिससे विधायन संयत्र के अन्दर अपशिष्ट निस्तारण की गतिविधियाँ आस–पास के क्षेत्रों से दृष्टिगोचर नहीं होगीं।

12. वर्तमान में प्रस्तावित स्थल पर अपशिष्ट नहीं डाला जा रहा है, परन्तु जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है प्रस्तावित स्थल पर पिलरबन्दी एवं वृक्षारोपण कर दिया गया है। शहरी विकास विभाग द्वारा टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के द्वारा लीगैसी वेस्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी, जिसकी प्रति नगर निगम, रूद्रपुर को भी की गई है। उक्त डी0पी0आर0 किच्छा रोड एन.एच. 74 के मुख्य मार्ग के पास मौहल्ला पहाड़गंज में पुराने ट्रंचिंग ग्राउण्ड से सम्बन्धित थी उसमें नये स्थल में प्रस्तावित कार्यों का समावेश नहीं था। इसलिए इस कार्यालय के पत्रांक 365/स्वा0अनु0/2019–20 दिनांकः 20 जुलाई, 2019 द्वारा सचिव, शहरी विकास विभाग (अनुभाग–3), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया कि दोनों स्थलों की संयुक्त डी0पी0आर0 बनायी जाय (संलग्नक–4)। डी0पी0आर0 में नये प्रस्तावित स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु भूमि की चाहरदीवारी, कम्पोटिंग कार्यवाही, सूखे कूड़े के विभिन्न अवयवों की छंटाई, वे मशीन, गोबर/होटल वेस्ट/जैविक अपशिष्ट डाईजेस्टर {Biomethanation Plant (Bio CNG Plant)} मोटरयान यार्ड, आर0डी0एफ0/वेस्ट–टू एनर्जी तथा इनसे सम्बन्धित भवन एवं मशीनरी की स्थापना प्रस्तावित की गयी है तथा पुराने ट्रंचिंग ग्राउण्ड पर पड़े मिश्रित कूड़े का प्रसंस्करण कर पुराने ट्रंचिंग ग्राण्उड पर पार्क आदि विकसित करना भी प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत स्थल पर कोई ट्रंचिंग ग्राउण्ड बनाया जाना प्रस्तावित न होकर वैज्ञानिक ढंग से नगरीय ठोस अपशिष्ट (MSW) का सम्पूर्ण वैज्ञानिक प्रबन्धन प्रस्तावित किया गया है। नगर निगम, रूद्रपुर नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु सतत रूप से प्रयत्नशील है। इसलिए नगर निगम रूद्रपुर द्वारा भी अपने स्तर से दिनांक 21.08.2019 को सार्वजनिक सूचना/अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) जारी की गयी है, जिसके अनुसार– (1) लगभग 60–70 हजार मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट **(MSW)** को 200 मीट्रिक टन या उससे अधिक प्रतिदिन की क्षमता के सिंगल/डबल **Trommel** या **Ballast Separator** अथवा दोनो के माध्यम से पृथक किया जाना है। (2) लगभग 60–70 मीट्रिक टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट **(MSW)** के सम्पूर्ण निस्तारण **Biomethanation Plant (Bio CNG Plant), RDF Plant etc.** हेतु पी0पी0पी0 मोड/लीज पर कार्य किया जाना है। (संलग्नक–5)

क्रमशः पृष्ठ–6

169

13. उक्त डी0पी0आर0 तैयार होने के उपरान्त उसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन यथा आवश्यक शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा किया जायेगा तथा जैसा के मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा उपरोक्त वर्णित रिट याचिकाओं में निर्देश दिया गया है कि "Must be carried out only strictly as per all laws, including getting such permission as may be required from the Pollution Control Board." के अनुसार प्रस्तावित प्लांट/कार्यों की स्थापना हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित यथा आवश्यक अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया जाएगा तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के निर्देशों का पालन किया जाएगा। मा0 अधिकरण के संज्ञान में यह भी लाना उचित होगा कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 अधिसूचित किये गये हैं जिसमें प्रत्येक राज्य के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड का एक प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण समिति का एक प्रतिनिधि, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रतिनिधि सहित अन्य पदेन हैं। उक्त समिति नगरीय ठोस अपशिष्ट के सम्बन्ध में राज्य की नीति तथा कार्य समिति उक्त नियमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपाय करवाती है। इस समिति के जो भी दिशा–निर्देश होंगे उनका पालन भी नगर निगम रूद्रपुर द्वारा किया जाएगा।

14. नगर निगम रूद्रपुर द्वारा प्रस्तावित स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट में से जैविक अपशिष्ट को Biomethanation Plant (Bio CNG Plant) लगाकर बायोगैस तथा कम्पोस्ट खाद प्राप्त होगी। इससे जैविक अपशिष्ट प्राकृतिक रूप से निस्तारित हो सकेगी। अजैविक अपशिष्ट को पुर्नचक्रित किये जाने वाले पदार्थों को पुर्नचक्रण किया जायेगा तथा प्लास्टिक, काष्ठ, लुगदी जैसे पदार्थों से भिन्न ठोस अपशिष्ट से आर0डी0एफ0 बनाने की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त कार्यों को करने से नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण हो सकेगा, इसके साथ–साथ रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होगें तथा बायोगैस एवं आर0डी0एफ0 आदि से नगर निगम की आय में भी वृद्धि हो सकेगी। उपरोक्त प्लांट/संयत्र स्थापना आदि की कार्यवाही में लगभग 1 से 1.5 वर्ष लगने की सम्भावना है। तब तक उक्त स्थान पर जैविक अपशिष्ट को Pit Composting अथवा Wind Row Composting की विधि से निस्तारित किया जाएगा एवं अजैविक अपशिष्ट में से पुर्नचक्रित हो सकने वाले पदार्थों को पुर्नचक्रण इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। इस प्रकार उपरोक्त स्थल पर जल एवं वायु प्रदूषण होने की सम्भावना नहीं हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसीपल बैंच से सादर अनुरोध है कि फाजलपुर महरौला कूड़ा निस्तारण स्थल विरोध समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य द्वारा योजित Application No. 604/2019 (I.A. No. 424/2019) को निक्षेपित करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

22.08.2019

(जय भारत सिंह)
नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर
उधमसिंह नगर

संलग्नक - 1

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

WRIT PETITION (PIL) NO. 56 OF 2017

Navab Singh .....Petitioner.

Versus

State of Uttarakhand and others. .....Respondents

Mr. (Dr.) Kartikey Hari Gupta, Advocate for the petitioner.
Mr. Pradeep Joshi, Standing Counsel for the State of Uttarakhand / respondent nos. 1 to 3.
Mr. Vipul Sharma and Mr. Lalit Sharma, Advocates for respondent no. 4.
Mr. Shiv Pandey, Advocate for respondent no. 5.

Dated: 29.11.2017

Coram: Hon'ble K.M. Joseph, C.J.
Hon'ble V.K. Bist, J.

K.M. Joseph, C.J. (Oral)

Rejoinder affidavit is taken on record. Application (IA No. 5322 of 2017) made therefor stands disposed of.

2. This is a writ petition filed in public interest jurisdiction. Prayers sought in the writ petition are as follows:

> "1- A writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the official Respondents, particularly Respondent No. 4, not to proceed with the construction of trenching ground in Khata No. 619, Khasra No. 08 situated Village Fazalpur Mahroula pursuant to the proposal of Municipal Corporation Rudrapur.
> 2- A writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the Respondent No. 4 to reconsider the proposal for construction of trenching ground in some other place which is away from residential colony, schools, colleges, hospitals, hostels etc."

3. Briefly put, the case of the petitioner is as follows:

The State Government has selected 4.044 hectare land and allotted it to the respondent Municipal Corporation with the condition, *inter alia*, to deposit ₹3,68,00,400/- by order dated 20.09.2016. On 24.03.2017, the Municipal Corporation wrote a letter to the Sub Divisional Magistrate seeking appropriate head where the money could be deposited and also the entry in the revenue records. It is pointed out that A.N. Jha Inter College raised objection against

171

the allotment of the land and construction of trenching ground over it. On 17.03.2017, a meeting of ten member committee was held in the chairmanship of Additional Chief Secretary, which, *inter alia*, observed that the land belongs to education department and is under the management of A.N. Jha Inter College, therefore, the allotment dated 20.09.2016 is liable to be cancelled and a proper inquiry is required to be made against the erring officers, including the District Magistrate. One public school, namely, R.A.N. Public School also represented. Petitioner also moved a representation. It is stated that there are numerous residential colonies and public utility centres, but the respondents are going to dig trenching ground. There is reference to the Environment Protection Act and the Rules made thereunder. The allegations are essentially to the effect that the respondents are going to construct trenching ground, for which they sought the land.

4. Counter affidavits have been filed by the answering respondents. In the counter affidavit filed on behalf of respondent no. 1, there is reference to the directions, which have been issued by this Court in Writ Petition (PIL) No. 80 of 2012 Sai Nath Seva Mandal vs. State of Uttarakhand and others. Further it is stated as follows:

> "8. That it is relevant to mention here that as per the Government Order No. 1954/XVIII(II)/2016-18(35)/2016 dated 20.09.2016 issued by the State Government, imposed the condition for allotment of 4.044 Hectare land on payment basis for the purpose of installation / set up of Solid Waste Management Plant, in which one of the condition No. 5 is that the land in question cannot be used by the Nagar Nigam for any other purpose, apart from the purpose it was allotted to the Nagar Nigam and in pursuance of the said notification dated 20.09.2016, the State Government Allotted the land to Nagar Nigam, Rudrapur for the purpose of installation / setup of Solid Waste Management Plant on payment basis. It is also relevant to mention here that said notification dated 20.09.2016 issued by the State Government is never been put to challenge by anyone before any competent court of law.
> 9. That in pursuance to the condition of the Notification Dated 20.09.2016, Nagar Nigam, Rudrapur deposited Rs. 15,000/- (Fifteen Thousand Rupees) on 17.03.2017 vide Challan No. 2902 as Mall Gujari and Rs.

3,68,00,400/- (Three Corore Sixty Eight Lac Four Hundred Rupees) as cost of land in the Government Treasury vide Challan No. 2901 Dated 17.03.2017."

5. It is thereafter stated that the amounts of Rs. 3,68,00,400/- and Rs. 15,000/- deposited by the Nagar Nigam are public money and the said money was deposited by the Nagar Nigam in the Government Treasury with specific purpose as per Notification dated 20.09.2016, which is non-refundable amount, and the Nagar Nigam will suffer irreparable loss, if anything is done wrong.

6. In short, their case is that it is not for construction of a trenching ground, but it is for installation / setting up of Solid Waste Management Plant. It is stated that Rudrapur city is a much developing city in the State of Uttarakhand and after creation of the State of Uttarakhand, SIDCUL was also established and a number of big industries came up nearby the city area of Rudrapur. It is stated that the Nagar Nigam is duty bound to cover the nearby areas, which were earlier revenue villages, but due to increase of population and modernization converted into city, Nagar Nigam is also taking steps for management of solid waste in very scientific manner as per law. In paragraph 16 of the counter affidavit, it has been stated as follows:

"16. That it is relevant to mention here that as projected by the petitioner in the writ petition about the nearby residential areas of the upcoming Solid Waste Management Plant over the land in question, before allotment of the said land the State Authorities had given their thoughts over it and after considering all the aspects and availability of the Government Land in the Rudrapur City, to meet out the other formalities under the law, the said land in question was allotted to Nagar Nigam, Rudrapur on payment basis as per Notification Dated 20.09.2016 imposing certain conditions thereon and also put one of the condition as the Nagar Nigam will not use the said land for any other purpose except to install / setup the Solid Waste Management Plant, it is also relevant to mention here that as per the Site Map of the proposed Solid Waste Management Plant, and record, the distance of A.N. Jha College is about 550 Mt. Degree College, Rudrapur is about 1 KM. GGIC is about 315 Mt., Columbus School is about 250 Mt., Block Office 350 Mt.,

123

Navoday School is about 500 Mt. It is also relevant to mention here that the said Solid Waste Management Plant is being setup on the part of big chunk of vacant Government Land, which is ample clear from the Khotoni as filed by the deponent. From the said Google map it is ample clear that nearby the proposed Solid Waste Management Plant, nothing residential area is available as of now."

7. Thereafter, reference is made to Rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2015. Further there is reference to Rule 19 of the said Rules, which provides for criteria regarding setting-up solid waste processing and treatment facility. Likewise, Rule 22 of the said Rules is referred to show that there is a time frame, within which, the work is to be completed.

8. It is stated that respondent no. 4 is duty bound to comply with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2015 and other corresponding laws and also duty bound to comply with the direction of the Court given in Writ Petition (PIL) No. 80 of 2012.

9. To the same a rejoinder affidavit is filed by the petitioner, wherein the petitioner has produced a photograph to contend that construction in question will be located within close vicinity of the human habitation and schools, which is prohibited. This is a private land of A.N. Jha College, it is reiterated. In the rejoinder affidavit, the petitioner has a case that the construction will be in violation of the order of this Court.

10. The fourth respondent, namely, Municipal Corporation, Rudrapur has filed a counter affidavit, wherein, the contention of the petitioner that land in question is being used for the purpose of "trenching ground" has been denied and it is stated that the land has been allotted for the purpose of installation of Solid Waste Management Plant. There is also reference to the directions in CA-3 judgment, which we have already referred.

11. We have heard Mr. (Dr.) Kartikey Hari Gupta, learned counsel appearing on behalf of the petitioner. We also heard Mr.

Pradeep Joshi, learned Standing Counsel for the State of Uttarakhand and Mr. Vipul Sharma & Mr. Lalit Sharma, learned counsel appearing on behalf of respondent no. 4, and Mr. Shiv Pandey, learned counsel who appears on behalf of the Pollution Control Board.

12. It is crystal clear that the very basis of the writ petition that the construction of a trenching ground is being done, is without any foundation. What is being put up is a Solid Waste Treatment Plant. It is brought to our notice that the site of the proposed plant is also located about more than five kilometers away from the city centre. We have already noticed that there is a trenching ground in the city and having regard to the pressure of the population, proper waste management must be done as per law.

13. Mr. Kartikey Hari Gupta, learned counsel for the petitioner sought to draw support from the rules made by the Government of India acting under the concerned law for management of the solid waste. Therein, reference is made to specification in sanitary land fills. Learned counsel for the petitioner sought to refer to criteria for site selection and it refers to land fill. Clauses (vii) & (ix) of Specifications for Sanitary Landfills read as under:

> "(vii) The landfill site shall be 100 meter away from river, 200 meter from a pond, 200 meter from Highways, Habitations, Public Parks and water supply wells and 20 km away from Airports or Airbase. However in a special case, landfill site may be set up within a distance of 10 and 20 km away from the Airport/Airbase after obtaining no objection certificate from the civil aviation authority / Air force as the case may be. The Landfill site shall not be permitted within the flood plains as recorded for the last 100 years, zone of coastal regulation, wetland, Critical habitat areas, sensitive eco-fragile areas.
> (ix) A buffer zone of no development shall be maintained around solid waste processing and disposal facility, exceeding five Tonnes as per day of iinstalled capacity. This will be maintained within the total area of the solid waste processing and disposal facility. The buffer zone shall be prescribed on case to case basis by the local body in consultation with concerned State Pollution Control Board."

125

14. This is a specification, which is to be read under Rules 15 & 16 of the Rules. In fact, Rule 19 deals with the criteria for duties regarding setting-up solid waste processing and treatment facility and similarly Rule 20 deals with the criteria and actions to be taken for solid waste management in hilly areas.

15. Mr. Shiv Pandey, learned counsel for the Pollution Control Board would, in fact, submit that no authorization has been given by the Pollution Control Board, which is required under law, for operating under Rule 16 of the Rules.

16. Having heard the learned counsel for the parties, we can arrive at the following conclusion:

Land has been allotted to the local body for the purpose of setting up the solid waste management plant. As of now, no construction has been done. Apparently, the amount, as demanded by the Authorities, has already been deposited. Respondents are not constructing trenching ground, which is the very foundation of the petitioner's case. Since this is a public interest litigation, we must also take care to see that any construction, which is being done, will be done only strictly as per law. Wherever the permission from the Pollution Control Board is required, at whatever stage it may, it must be obtained by the respondent body. We make it clear that the construction, with which we are not inclined to interfere, as things stand, must be carried out only strictly as per all laws, including getting such permission as may be required from the Pollution Control Board.

17. Subject to the above observations, the writ petition is disposed of.

(V.K. Bist, J.)
29.11.2017

(K.M. Joseph, C.J.)
29.11.2017

Rathour

संलग्नक - 2

176

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

Writ Petition (M/S) No. 626 of 2017
With
Restoration Application No. 1315 of 2017

Columbus Shiksha Prasar Samiti. ..... Petitioner

Versus

State of Uttarakhand & others. ..... Respondents

Mr. G.C. Kandpal, Advocate for the petitioner.
Ms. Prabha Naithani, Brief Holder for the State of Uttarakhand / respondent Nos. 1 to 4.

JUDGMENT

Coram: Hon'ble K.M. Joseph, C.J.
Hon'ble V.K. Bist, J.

Dated: 20th December, 2017

K.M. JOSEPH, C.J. (Oral)

Heard Mr. G.C. Kandpal, learned counsel for the petitioner and Ms. Prabha Naithani, learned Brief Holder appearing for the State / respondent Nos. 1 to 4.

2. The Application for restoration is allowed.

3. The prayers in this writ petition are as follows:

> "i) Issue a writ, order or direction, in the nature of certiorari quashing the impugned Government order no. 1954/XVIII(2)/2016-18 (35) / 2016 dated 29.9.2016 issued by respondent no. 1 annexed as Annexure No. 4 to the writ petition.
>
> ii) Issue a writ, order or direction, in the nature of mandamus commanding the respondents not to to initiate any activity of utilizing Khasra no. 619 for the purposes of its utilization as trenching ground."

4. A counter affidavit has been filed on behalf of respondent No. 5. Therein, it is stated that the State Government has leased the land in favour of the respondent for establishing a solid waste management plant as the ownership of the land was with the State Government and the Nigam has deposited ₹ 15,000/- as revenue and ₹ 3,68,00,400/- as cost of

the land. It is also stated that khasra numbers of the petitioner and the khasra numbers quoted in the Government Order are totally different. Thereafter, it is stated in paragraphs 6 & 11 as follows:

> "6. That the contents of paragraphs no. 5 of the writ petition as stated are not admitted hence denied. It is submitted here that the State Government has leased out / allotted a land measuring 4.044 hectare to the answering respondent for trenching ground recorded as Khasra No. 8 of Khata No. 619 of Village Fazalpur Mehrola and the land recorded in Khata No. 1812 has no concerned with the allotted land to the answering respondent vide Government Order No. 1954/XVIII(2)/2016-18(35)/2016 dated 20.9.16. It is submitted here that the land in question is a land of class-4 which was recorded in the name of A.N. Jha Government Inter College Farm.
>
> 11. That the contents of paragraphs no. 11 of the writ petition are not admitted hence denied. It is submitted here that the Solid Waste Management Plant in the land in question will give no affect to educational activities of A.N. JHA Inter College as the same is situated at a distance far from the land allotted to the answering respondent."

5. A supplementary counter affidavit is also filed on behalf of respondent No. 5. Therein, it is *inter alia* stated as follows:

> "6. That the contents of paragraph no. 4 of the supplementary affidavit are not admitted hence denied. It is submitted here that the Columbus school is situated at a distance of 100 meters from the land in question and the garbage disposal plant is being installed in accordance with law which will not give any affect to the health of the public.
>
> 7. That the contents of paragraph no. 5 of the Supplementary affidavit are not admitted hence denied. It is submitted here that all colleges are situated at the distance of more than 200 to 1000 meters and the Degree college is situated at a distance of more than 1000 meters and other educational institutions are situated at a distance of more than 200 meter to 500 meters. The land in question is being given by the college administration on contract for agricultural purposes. It is submitted here that only 4.044 hectare land has been allotted for the purpose of installing the solid waste disposal out of 14.92 hectare of land. It is submitted here that on the remaining land the agricultural work is being conducted by the college administration.
>
> 8. That in reply to the contents of paragraph no. 6 of the supplementary affidavit it is submitted here that the A.N. Jha

178

college is situated at a distance of 500 meters from the place of disposal of the solid wastes and the disposal plant will be installed in accordance with law which will not give any affect to the health of the public.

9. That the contents of paragraph no. 7 of the supplementary counter affidavit are not admitted hence denied. It is submitted here that the Columbus Public School is situated at more than 100 meters distances and the Holy Child School is situated at a distance of more than 1 Km in district Rampur U.P. and the objection against the solid wastes disposal plant raised by the manager Holy Child School is against the law as the land in question is situated at a distance of more than 1 km."

6. We have already disposed of Writ Petition (PIL) No. 56 of 2017. Having heard the learned counsel for the petitioner, who also is not able to make out any ground for interfering with the order, we are not inclined to interfere with the order as such. However, we have already made certain observations in Writ Petition (PIL) No. 56 of 2017 in regard to the matter. In the light of that also, we see no reason to interfere in this case.

7. The writ petition is, accordingly, closed.

(V.K. Bist, J.)
20.12.2017

(K.M. Joseph, C. J.)
20.12.2017

G

संलग्नक -3

पत्रांक–2393/श0वि0नि0/31/ठो0अप0/एस0बी0एम0/2017–18

प्रेषक,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तरखखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1–	नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।	2–	प्रशासक, नगर निगम, ऋषिकेश, देहरादून।
3–	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती/ जोशीमठ/ श्रीनगर/ चमोली– गोपेश्वर/ कर्णप्रयाग/ गौचर/ रूद्रप्रयाग/ उत्तरकाशी/ देवप्रयाग।	4–	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बद्रीनाथ/ नन्दप्रयाग/ कीर्तिनगर/ गंगोत्री।

दिनांक: 23 मार्च, 2018, देहरादून

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण/एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या–200 वर्ष 2014 (एम0सी0मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य) तथा वाद संख्या–10 वर्ष 2015 (इंडियन कॉउन्सिल फॉर एनवीरो लीगल एक्शन बनाम एन0जी0आर0बी0ए0 एवं अन्य) के अन्तर्गत निर्गत निर्देशों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक/वाद के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 10–12–2015 तथा दिनांक 06–02–2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत नगरीय ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार प्राथमिकता पर कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

2. मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के उक्त निर्देश दिनांक 10–12–2015 के क्रम में शासनादेश संख्या–94/IV(2)–श0वि0–2016–35(सा0)/15 दिनांक 13 जनवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या–2187/IV(2)–श0वि0–2016–35(को0के0)/15 दिनांक 19–12–2016 के द्वारा 50 माईक्रोन मोटाई से कम प्लास्टिक के प्रयोग को प्रतिबंधित किये जाने, वॉटर बोडीस में कूडा न फेंके जाने, जैविक व अजैविक कूडे को नियमानुसार निस्तारित किये जाने तथा अवहेलना होने पर रूपये 5,000/– का जुर्माना लगाये जाने हेतु आदेशित किया गया था।

3. शासनादेश संख्या–93/IV(2)–श0वि0–2016–35(सा0)/15 दिनांक 13 जनवरी, 2016 के द्वारा ठोस–अपशिष्ट के तकनीकि व वैज्ञानिक निस्तारण हेतु भूमि का चयन कर भूमि प्राप्त किये जाने हेतु आदेशित किया गया था।

4. मा0 मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–293 IV(2)–श0वि0–2016–35(को0के0)/15, दिनांकः 18–02–2016 के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डी0एफ0ओ0, नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी तथा क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

को सदस्य नामित करते हुए ठोस–अपशिष्ट के निस्तारण स्थल की भूमि के चिन्हीकरण/हस्तान्तरण हेतु समिति का गठन किया गया था।

5. शासनादेश संख्या–2188/ IV(2)–श0वि0–2016–35(को0के0)/15 दिनांक 29–12–2016 के द्वारा ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत निस्तारण स्थल की भूमि के चयन के सम्बन्ध में कार्यावाही दो वर्ष में पूर्ण किए जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त के कम में शासनादेश संख्या 2190/ IV(2)–श0वि0–2016–35(सा0)/15 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 के द्वारा निस्तारण भूमि को नगर के मास्टर प्लान में निर्धारित कराए जाने तथा अंकित कराए जाने हेतु निर्देश निर्गत किए गए थे।

6. शासनादेश संख्या– 421/IV(2)–श0वि0–2016–35(सा0)/15 दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा सुरक्षित एवं वैज्ञानिक रूप से ठोस–अपशिष्ट को निस्तारित किये जाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार ऑथोराइजेशन प्राप्त किये जाने के निर्देश भी निर्गत किये गये थे।

7. शासनादेश संख्या–2187/IV(2)–श0वि0–2016–35(को0के0)/15 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 के द्वारा कूडे को जलाये जाने को पूर्णतया प्रतिबंधित किये जाने तथा रू0 5000 से रू0 25000 तक का अर्थ दण्ड लगाए जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

8. शासनादेश संख्या–356/IV(2)–श0वि0–2016–35(को0के0)/15 दिनांक 26–02–2016 के द्वारा ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत यूजर चार्जस के उपनियमों को स्थानीय स्तर पर तैयार करा कर नोटिफाईड कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त के ही सम्बन्ध में संख्या–2191/IV(2)–श0वि0–2016–35(को0के0)/15 दिनांक 29–12–2016 के द्वारा भी कूड़े को इधर उधर फेकें जाने से प्रतिबन्धित किया गया था।

10. कूड़े को इधर उधर फेकें जाने से प्रतिबन्धित किए जाने के कम में "उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016, 30 नवम्बर, अधिसूचना संख्या 347/XXXVI(3)/2016 द्वारा प्रभावी है। जिसके अनुसार स्थनीय निकायों व नगरों को कड़ी कार्यवाही किए जाने के निर्देश निर्गत हैं।

9. शासनादेश संख्या–2189/ IV(2)– श0वि0– 2016–35 (को0के0)/15, दिनांक 29–12–2016 के द्वारा ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत यूजर चार्जस के उपनियमों तथा ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार प्राथमिकता पर कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये थे।

गंगा नदी के किनारे के नगरों की ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन की योजनाओं तथा स्थानीय स्तर पर की जा रही कार्यवाहियों का अनुश्रवण नियमित रूप से मा0 एन0जी0टी0, भारत सरकार व राज्य सरकार के स्तर पर किया जा रहा है। दिनांक 08–03–2018 को श्री वी0के0 जिंदल, संयुक्त सचिव/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वीड़ियो कॉन्फ्रेसिंग के समय माह नवम्बर, 2018 तक प्रत्येक दिशा में ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार घर–घर से कूडे का उठान, जैविक व अजैविक कूडे का पृथकीकरण, निस्तारण स्थल तक पूर्ण परिवहन तथा नियमानुसार निस्तारण व एस0एल0एफ0 तैयार किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन विषय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 16–03–2018 को समीक्षा बैठक आहूत की गयी तथा उनके द्वारा भी आदेशित किया गया है कि यथा–शीघ्र ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश की सभी स्थानीय निकाय प्राथमिकता पर कार्यवाही कर नियमों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

18

अतः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेशों, मा0 मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों तथा विभिन्न शासनादेशों में निर्गत आदेशों के क्रम में निम्नानुसार प्राथमिकता पर कार्यवाहीयों किया जाना सुनिश्चित करें:

1. घर–घर से/प्रत्येक वार्ड से 100 प्रतिशत कूड़े का संग्रहण किया जाए तथा साथ ही यूजर चाजर्स बाईलॉस के अनुसार पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल के आधार पर यूजर चाजर्स को दी जा रही सुविधा के क्रम में वसूला जाए।
2. ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन को उच्च स्तरीय किये जाने हेतु जैविक व अजैविक कूडे को घर–घर पर ही पृथकीकृत किये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जाए तथा विकेन्द्रीयत रूप से जैविक कूडे को कम्पोस्ट में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की जाए।
3. घर–घर से संग्रहित किये गये कूडे को 100 प्रतिशत निस्तारण स्थल तक यथा–आवश्यकता ट्रांसफर स्टेशन बना कर, प्रसंस्करण हेतु पहुंचाया जाए।
4. निस्तारण स्थल पर जैविक व अजैविक कूडे को अलग कर, प्लास्टिक कॉम्पेक्टर का उपयोग कर, नियमानुसार एस0एल0एफ0 तैयार करा कर निस्तारण की कार्यवाही की जाए।
5. जिन नगरों की डी0पी0आर0 जैसे चमोली, मुनिकीरेती, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, गौचर, अगस्तयमुनि, पोखरी, कपकोट, लोहाघाट, अल्मोडा, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत की जा चुकी हैं, उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राथमिकता पर कार्यवाही की जाए।
6. जिन नगरों में पूर्व से ही प्लास्टिक कॉम्पेक्टर लगे हैं, जैसे पिथौरागढ़, अल्मोडा, मसूरी, बागेश्वर, चम्पावत, चमोली–गोपेश्वर, जोशीमठ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, चम्बा, बड़कोट, पुरोला, कर्णप्रयाग, गौचर, भीमताल, लोहाघाट, द्वाराहाट, रूद्रप्रयाग, मुनिकीरेती, श्रीनगर, के द्वारा कॉम्पेक्टर का नियमित उपयोग किया जाए तथा इससे हुई आय को ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत ही उपयोग में लाया जाए।
7. उत्तराखण्ड़ कूडा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध एक्ट, 2016 के प्राविधानों के अनुसार इस का उल्लंघन करने वाले नागरिकों के विरूद्ध नियमानुसार दण्ड आरोपित करने की कार्यवाही करें।
8. उपरोक्त के क्रम में यूजर चाजर्स, प्लास्टिक कॉम्पेक्टर से आय, कम्पोस्ट तैयार कर उसकी मात्रा व विक्रय से आय, प्लास्टिक के ग्रेन्यूल/छोटे–छोटे आकार का काट कर विक्रय किये जाने, प्लास्टिक के उपयोग कर्ताओं से जुर्माने का विवरण, उत्तराखण्ड़ कूडा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध एक्ट, 2016 के उल्लंघन के सापेक्ष आरोपित दण्ड आदि मदों से होने वाली औसतन मासिक व वार्षिक राजस्व का विवरण भी प्राथमिकता पर निदेशालय को प्रेषित किये जाने का कष्ट करें।
9. मा0 एन0जी0टी0,नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06–02–2018 को ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये गये हैं:–
   - A Description of the stage at which the execution of the direction is and what is remaining in balance ;
   - B Who has to perform the balance work;
   - C How long it will take to complete the work;
   - D What help and assistance or directions is needed to complete the balance work.
10. उक्त के क्रम में 04 बिन्दुओं पर विस्तृत आख्या व विवरण तत्काल निदेशालय प्रेषित करने का कष्ट करें।

182

उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि विषय की गम्भीरता, संवेदनशीलता व महत्वपूर्णता को दृष्टिगत रखते हुए ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुसार प्राथमिकता पर कार्यवाहियां पूर्ण किया जाना तथा उपरोक्तानुसार बिन्दुवार आख्या व विवरण निदेशालय को तत्काल ई–मेल के माध्यम से भी प्रेषित किये जाना सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त को प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार,ई–मेल द्वारा प्रेषित।

भवदीय,

23.03.16

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक,

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊं।
2. जिलाधिकारी, समस्त, उत्तराखण्ड।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून / रूड़की / काशीपुर / रूद्रपुर / हल्द्वानी।
3. प्रशासक, नगर निगम, कोटद्वार को इस अनुरोध से प्रेषित कि ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुसार प्राथमिकता का कार्यवाही व कूड़े का वैज्ञानिक निस्तारण कराया जाने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत समस्त, उत्तराखण्ड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ठोस–अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के सम्बन्ध में पूर्ण निर्गत निर्देशों के कम में उक्त नियम के प्राविधानों के अनुसार प्राथमिकता का कार्यवाही व कूड़े का वैज्ञानिक निस्तारण कराया जाने का कष्ट करें।

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।

संलग्नक – 4

183

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

e-mail – nagarnigamrudrapur@gmail.com visit – www.nagarnigamrudrapur.com
Tel. 05944-242400, Fax – 05944-243316

पत्रांकः 365/स्वा0अनु0/2019–20 दिनांकः 20 जुलाई, 2019

सेवा में,

सचिव,
शहरी विकास विभाग (अनुभाग–3),
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषयः– ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुपालन में नगरीय लीगैस वेस्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– शहरी विकास निदेशालय के पत्रांक 1489/743/SBM/SWM/ली0वे0/2019–20 दिनांक 16 जुलाई, 2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो महोदय को सम्बोधित है तथा जिसकी प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित की गयी है। उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत नगरीय लीगैसी वेस्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु रू0 3.84 करोड़ की डी0पी0आर0 बनायी गयी है।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगरीय लीगैसी वेस्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने से पूर्व नगर निगम, रूद्रपुर से कोई विचार–विमर्श नहीं किया गया है और न ही उसकी प्रति नगर निगम रूद्रपुर को प्रेषित की गयी है। महोदय यह भी संज्ञान में लाना है कि नगर निगम, रूद्रपुर को पूर्व में ठोस अपशिष्ट निस्तरण हेतु जो भूमि उपलब्ध करायी गयी थी, उस पर जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम, रूद्रपुर को कब्जा दिलवाया गया है। उक्त स्थान पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत भूमि की चहारदीवारी, कम्पोटिंग कार्यवाही, सूखे कूड़े के विभिन्न अवयवों की छंटाई, वे मशीन, गोबर/होटल वेस्ट डाईजेस्टर, मोटरयान यार्ड, आर0डी0एफ0/वेस्ट–टू एनर्जी तथा इनसे सम्बन्धित भवन एवं मशीनरी स्थापित की जानी है। उक्त स्थान पर ही पुराने ट्रंचिंग ग्राउण्ड पर पड़े मिश्रित कूड़े को लाकर उसका प्रसंस्करण कर पुराने ट्रंचिंग ग्राण्उड की सफाई करवायी जानी है। तदोपरान्त पुराने स्थान पर पार्क आदि विकसित करने की योजना है। उपरोक्त परिस्थितियों में नये स्थल को सम्मिलित कर तथा उपरोक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पुनः डी0पी0आर0 बनाने की कार्यवाही की जानी उचित होगी। इससे पृथक–पृथक डी0पी0आर0 की तुलना में कम धनराशि व्यय होने की सम्भावना है।

अतः अनुरोध है कि नगर निगम, रूद्रपुर की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा नगर निगम रूद्रपुर से विचार–विमर्श कर डी0पी0आर0 बनाने हेतु सम्बन्धित नामित कार्यदायी संस्था को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(जय भारत सिंह)
नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर
उधमसिंह नगर

प्रतिलिपि–

1. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनसे हुई वार्ता के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. मा0 महापौर, नगर निगम, रूद्रपुर।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर
उधमसिंह नगर

संलग्नक - 5

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर जनपद–ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)

"सार्वजनिक सूचना/अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)"

1. लगभग 60–70 हजार मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट (MSW) को 200 मीट्रिक टन या उससे अधिक प्रतिदिन की क्षमता के सिंगल/डबल Trommel या Ballast Separator अथवा दोनो के माध्यम से पृथक किया जाना है।
2. लगभग 60–70 मीट्रिक टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट (MSW) के सम्पूर्ण निस्तारण Biomethanation Plant (Bio CNG Plant), RDF Plant etc. हेतु पी0पी0पी0 मोड/लीज पर कार्य किया जाना है।

इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों से क्रम सं0 1 या 2 अथवा दोनों कार्य करने हेतु दिनांक 06.09.2019 की सांय 5:00 बजे तक पृथक–पृथक सीलबन्द प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। जो दिनांक 07.09.2019 को प्रातः 11:00 बजे निविदा समिति के सदस्यों के सम्मुख खोले जायेगें। प्राप्त प्रस्तावो को उपयुक्तता के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग कर निविदा की कार्यवाही की जायेगी।

21.08.19

(जय भारत सिंह)
नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर (उ0सिं0नगर)

21/08/19

(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम, रूद्रपुर (उ0सिं0नगर)

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

e-mail – nagarnigamrudrapur@gmail.com visit – www.nagarnigamrudrapur.com
Tel. 05944-242400, Fax – 05944-243316

पत्रांक– 1391 /स्वा0अनु0 /2019–20 /PB दिनांक: 21 अगस्त, 2019

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. कार्यालय उप जिलाधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
3. कार्यालय नगर निगम, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर।
4. सम्पादक, दैनिक जागरण, हल्द्वानी एवं अमर उजाला, हल्द्वानी को इस आशय प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को साईज 6x8 सेमी0 में अपनी व्यवसायिक दरों में 30 प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए में समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशन करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने को कष्ट करें।
5. श्री तपन कुमार राय, कम्प्यूटर ऑपरेटर, नगर निगम, रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को नगर निगम, रूद्रपुर के बैवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

21/08/19

(रिंकू बिष्ट)
उप नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर
उधमसिंहनगर